Patrika (Indore), 22nd November 2020, Page-2

पिछली नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करते हुए शिक्षा विभाग ने नए सिरे से बुलाए आवेदन

आइआइटी को अगले साल ही मिलेगा स्थायी निदेशक

31 दिसंबर को पूरा हुआ था प्रो. माथुर का कार्यकाल, सीनियर डीन प्रो. जैन संभाल रहे हैं संस्थान

अभिषेक वर्मा
patrika.com

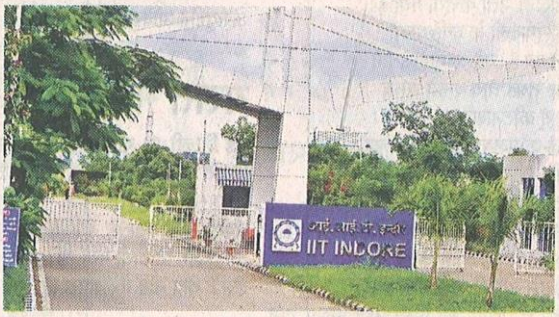

इंदौर. आइआइटी इंदौर को स्थायी निदेशक के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकार ने पिछले साल हुई नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नए सिरे से आवेदन बुलाए हैं। नियुक्ति में हो रही देरी से दावेदारों में नाराजगी है। वे देरी की वजह स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। करीब एक साल से स्थायी डायरेक्टर नहीं होने से आइआइटी के कुछ प्रशासनिक फैसले लंबित हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी), इंदौर के साथ ही आइआइटी मंडी के डायरेक्टर की तलाश भी पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में शुरू हुई थी। माना जा रहा था कि 31 दिसंबर 2019 को इंदौर के डायरेक्टर प्रो. प्रदीप माथुर का कार्यकाल खत्म होने तक नए डायरेक्टर की घोषणा हो जाएगी। इसके लिए दिसंबर में चयनित दावेदारों के इंटरव्यू तक करा लिए गए। 31 दिसंबर को प्रो. माथुर रिटायर हुए लेकिन, उनकी जगह नया डायरेक्टर नहीं मिल सका। तब सरकार ने आइआइटी इंदौर के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉ. निलेश कुमार जैन को कार्यवाहक निदेशक बना दिया। कार्यवाहक होने के बावजूद उन्हें वित्तीय अधिकार भी दे दिए गए। तभी से माना जा रहा था कि नए डायरेक्टर की नियुक्ति में देरी होगी। अब सरकार ने पूरी प्रक्रिया ही निरस्त करते हुए नए सिरे से आवेदन बुलाए हैं। इससे पूर्व में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों में नाराजगी है।

इंदौर के भी दावेदार: आइआइटी इंदौर व आइआइटी मंडी के डायरेक्टर बनने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (तकनीकी विभाग) ने 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन बुलाए हैं। आइआइटी के कई सीनियर प्रोफेसरों के साथ-साथ इंजीनियरिंग व साइंस कॉलेजों के प्रोफेसर भी दावेदारी कर रहे हैं। आवेदन के लिए 31 दिसंबर 2020 को अधिकतम उम्र सीमा 60 साल निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के पास कम से कम 10 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। हालांकि, अतिविशिष्ट मामलों में विज्ञान, गणित व मैनेजमेंट डिग्री वालों पर भी विचार किया जा सकता है।

माथुर ने पूरे किए दो कार्यकाल

आइआइटी इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। पहले डायरेक्टर के तौर पर प्रो. प्रदीप माथुर की नियुक्ति हुई। पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2014 में उन्हें ही दूसरा कार्यकाल सौंपा गया था।